प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 02.10.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1. नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने के 02 आरोपी गिरफ्तार, थाना बिलारीः-

अवगत कराना है दिनांक 19.09.2024 को वादी निवासी थाना बिलारी क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध मे थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0- 603/2024 धारा- 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में साक्ष्य संकलन/विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में लड़की को दिनांक 28-09-2024 को सकुशल बरामद करते हुये नियमानुसार परिजनों के सुपुर्द किया गया तथा साक्ष्यों/बयानो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 333/64(1)/3(5) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा आज दिनांक 02-10-2024 को उ0नि0 विनोद कुमार थाना बिलारी के द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी 1- सनी पुत्र सुधीश, 2- अमित पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम कमालपुर चंदौरा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2. अवैध चाकू के साथ 03 आरोपी गिरफ्तार,थाना कटघरः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्र निर्माण/तस्करी, अवैध शस्त्र धारको पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व संलिप्त अपराधीयो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 01.10.2024 को उ0नि0 प्रबोध कुमार थाना कटघर मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त सतीश कुमार पुत्र उदयपाल निवासी ग्राम अकबरपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद, हाल पता लक्ष्मीनगर पीतलनगरी थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को अवैध एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कटघर पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 565/2024 धारा- 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया तथा उ0नि0 बृजेश कुमार थाना कटघर मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्तगण 1- शहनवाज पुत्र नईम निवासी कर्बला थाना कटघर जनपद मुरादाबाद, 2- अफजाल पुत्र वाजिद अन्सारी निवासी कस्बा व थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को अवैध 02 चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कटघर पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 566/2024 धारा- 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

3. नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोपी गिरफ्तार, थाना कटघरः-

अवगत कराना है दिनांक 24.09.2024 को वादी निवासी थाना कटघर क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध मे थाना कटघर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कटघर पर मु0अ0सं0- 543/2024 धारा- 137(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023) पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में साक्ष्य संकलन/विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में लड़की को दिनांक 29-09-2024 को सकुशल बरामद किया गया तथा आज दिनांक 02-10-2024 को उ0नि0 योगेश कुमार मलिक थाना कटघर के द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी अमन पुत्र हरीचन्द निवासी डबल फाटक अम्बेडकर नगर थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 475/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट

4. जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के 09 आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 02.10.2024 को **थाना भगतपुर** पुलिस द्वारा शान्ति भंग कर रहे आरोपी 1- सुरेन्द्र पाल पुत्र पन्नू सिहं, 2- गुड्डू पुत्र पन्नू सिहं निवासीगण ग्राम कचनाल थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद, तथा **थाना ठाकुरद्वारा** पुलिस द्वारा आरोपी 1- अवनीश कुमार पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम वाहपुर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद, तथा **थाना कटघर** पुलिस द्वारा शान्ति भंग कर रहे आरोपी 1- रजत रस्तोगी पुत्र सुधीर चन्द्र निवासी गोविन्दनगर थाना कटघर जनपद मुरादाबाद, 2- राजेश पुत्र किशनलाल, 3- राजेन्द्र पुत्र किशनलाल निवासीगण ग्राम रामनगर मझरा थाना कटघर जनपद मुरादाबाद, 4- संजय पुत्र बाबू राम निवासी हयातनगर थाना हयातनगर जनपद सम्भल हाल निवासी बल्देवपुरी थाना कटघर जनपद मुरादाबाद, 5- राकेश पुत्र प्रहलाद सिंह सैनी निवासी बल्देवपुरी थाना कटघर जनपद मुरादाबाद, 6- अजीम पुत्र नसरुद्दीन निवासी तेलियो वाली गली थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।